Result Mitra IAS/PCS Daily Magazine Content

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन

➢ चर्चा में क्यों ?

- रविवार (9 फरवरी) को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह के इस्तीफे के बाद गुरुवार (13 फरवरी) की शाम को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।
- 9 फरवरी को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह के इस्तीफे के बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अगर राज्य में बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल आम सहमति वाले मुख्यमंत्री उम्मीदवार को खोजने में विफल रहती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
- ज्ञातव्य है कि मई 2023 में मणिपुर में कुकी और मैतई समुदाय के लोगों के बीच हिंसा के कारण राज्य में संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी।

➢ कैसे लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन ?

- "राष्ट्रपति शासन" भारत के शासन के संदर्भ में उस समय प्रयोग किया जाने वाला एक पारिभाषिक शब्द है, जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है।
- ऐसी स्थिति में राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है।
- ऐसी स्थिति को राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण निर्वाचित मुख्यमंत्री के बजाय सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किए जाते हैं।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद–356 केंद्र की संघीय सरकार को संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है।

➢ संविधान का अनुच्छेद–356 :

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद–356, भारत सरकार अधिनियम–1935 की धारा 93 के तहत संविधान में शामिल किया गया है।
- अनुच्छेद–356 किसी राज्य में संविधान तंत्र की विफलता या स्पष्ट उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है।
- राष्ट्रपति शासन दो आधार पर लगाया जा सकता है :–

1. अगर संबंधित राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करता है या वह आश्वस्त हो जाता है कि संबंधित राज्य की स्थिति ऐसी है कि वहां का राज्य शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला सकती।
2. अगर कोई राज्य, संघीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने में विफल रहता है, तो वहां राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है।

- राष्ट्रपति शासन को दूसरे शब्दों में "संवैधानिक आपातकाल" भी कहा जाता है।

➢ राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की विभिन्न स्थिति :

1. संबंधित राज्य के विधानसभा में विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार का अल्पमत में आना।
2. संबंधित राज्य में राज्यपाल द्वारा दिए गए समयावधि में बहुमत वाले दल के द्वारा मुख्यमंत्री चुनने में सक्षम न होना।
3. गठबंधन वाली सरकार में गठबंधन टूटने से सरकार का अल्पमत में आना तथा सरकार द्वारा राज्यपाल के निर्धारित समय के भीतर अपना बहुमत साबित करने में असमर्थ होना।

- किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को अनुमोदित करने के लिए भारतीय संसद की मंजूरी लेनी आवश्यक होती है।
- भारतीय संसद की यह मंजूरी संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित करने के दिन से 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से लेनी होती है।
- आमतौर पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए होती है लेकिन इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी के साथ 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

Result Mitra

➢ भारत में राष्ट्रपति शासन का इतिहास :

- वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद वर्तमान तक भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है।
- किसी भी राज्य में अनुच्छेद–356 के तहत राष्ट्रपति शासन का देश में पहला अनुप्रयोग 20 जून 1951 में पंजाब सरकार के खिलाफ किया गया था।
- भारत के राज्यों में सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन वाला राज्य संयुक्त रूप से मणिपुर और उत्तर प्रदेश है जहां 10–10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है।
- सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन की अवधि वाला राज्य जम्मू–कश्मीर, पंजाब और पुडुचेरी है।
- जम्मू–कश्मीर अब तक लगभग 12 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा, जबकि पंजाब 10 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा।
- पुडुचेरी राष्ट्रपति शासन के अधीन 7 वर्ष से अधिक समय तक रहा।

- भारत में केवल छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है।

➢ राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट :

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा एस आर बोम्बई बनाम भारत संघ (1994) के मामले में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति और केंद्र–राज्य संबंध में इसके प्रभाव की जांच के लिए सुनवाई की।
- केंद्र सरकार के राष्ट्रपति शासन लगाने के कई उदाहरणों के बीच राज्य सरकार को खारिज करने के बाद यह मामला अदालत में आया।
- इस मामले की सुनवाई करते हुए 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि अनुच्छेद–356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा राष्ट्रपति के न्यायिक शक्ति के अधीन है।
- हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वह इस मामले की जांच कर सकती है कि क्या संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला शक्ति का दुरुपयोग या धोखाधड़ी से ग्रस्त या अवैध रूप से लिया गया है।

Result Mitra

हम आपको रिजल्ट देने आये हैं.

Result Mitra

1- UPSC(IAS) COMPLETE GS -5999 ₹.

2- NCERT for IAS/PCS -2499 ₹

3- ESSAY for IAS/PCS- 2199 ₹

4- UPSC PRELIMS TEST SERIES - 1399 ₹

5- सभी राज्यों के लिए टेस्ट सीरीज - 1399 ₹

कोर्स या Test Series के लिए

WhatssApp कीजिये

9235313184, 9235446806